UPBL010047182022

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–7, बलिया।

उपस्थितः ओम प्रकाश एच.जे.एस.

जमानत प्रार्थना पत्र सं0–2321/2022

करन सिंह पुत्र बाल कृष्ण, सा0–सेक्टर 17वीं, 6/38 रोहिणी, के0एन0 काटजू मार्ग, रोहिणी, दिल्ली।

..... प्रार्थी /अभियुक्त।

बनाम

उ.प्र.सरकार .....विपक्षी।

मु0अ0सं0–108/2022
धारा–419, 420, 467, 468, 471 भा.दं.सं.
थाना–रसड़ा, जनपद–बलिया।

दिनांक–20.10.2022

अपराध संख्या–108/2022, थाना–रसड़ा, अन्तर्गत धारा–419, 420, 467, 468, 471 भा.दं.सं. के सम्बन्ध में यह जमानत आवेदन पत्र आवेदक की ओर से प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि विगत काफी दिनों से एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को उड़ीसा, असाम व आन्ध्र प्रदेश से अवैध गांजा व अन्य मादक पदार्थों की तस्करी कर उ0प्र0 के कई जगहों में आपूर्ति करने के संबंध में सूचना प्राप्त हो रही थी। उक्त सूचना के संबंध में पुलिस उपाधीक्षण श्री डी.के. शाही के प्रवेक्षणाधीन टीम द्वारा एस0टी0एफ0 के संसाधनों का प्रयोग करते हुए सुरागरसी पतारसी की जा रही थी। मुखबिर खास की सूचना पर उ0नि0 अतुल चतुर्वेदी, उ0नि0 प्रदीप कुमार सिंह, मु0आ0 अनिल सिंह चन्देल एवं अन्य कर्मचारीगण के साथ रसड़ा के पास पहुंचे। मुखबिर की सूचना की जानकारी प्रभारी निरीक्षक रसड़ा को अवगत कराया गया और सहयोग की अपेक्षा की गयी जिनके द्वारा उ0नि0 रविन्द्र कुमार पटेल मय हमराही कर्मचारीगण के साथ संवरा पुलिस चौकी पहुंचे जहां पर बैरिकेटिंग लगाकर चेंकिंग प्रारम्भ की गयी। कुछ देर बाद एक डी0सी0एम0 सफेद रंग की तेज गति से बलिया की तरफ से आती दिखाई दी जिसे रोका गया जिसके केविन में तीन लोग

Digitally signed by Om Prakash
Date: 2022.11.02 16:21:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

चालक सहित बैठे थे जिन्हे नीचे उतार कर नाम पता पुछा गया तो पहले ने अपना नाम–सचिन हरिजन पुत्र शंकर राम निवासी मुड़ियार थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़, दूसरा ने अपना नाम–मुकेश कुमार पुत्र बलवन्त सिंह निवासी नया पार्क, थाना–सवा डेयरी, दिल्ली एवं तीसरा ने अपना नाम– करन सिंह पुत्र बालकृष्ण निवासी सेक्टर–17वीं 6/38 रोहिणी दिल्ली बताया। पुलिस द्वारा डी0सी0एम0 में रखे बस्तु के बारे में कड़ाई से पूछताछ किया तो घबराते हुए बताये कि लिची के जूस के पेटियों के बीच में गांजा लदा है। जिसकी सूचना तत्काल क्षेत्राधिकारी रसड़ा को दी गयी एवं रोके गये व्यक्तियों को उनके अधिकार के संबंध में बताया गया कि उन्हें यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी राजपत्रित अधिकारी के समक्ष अपना जामा तलाशी दे सकते है। तब तक क्षेत्राधिकारी रसड़ा पहुंच गये। पकड़े गये व्यक्तियों के सहमत पत्र प्राप्त होने के उपरान्त करन सिंह की जामा तलाशी ली गयी जिसके जामा तलाशी से कुल 350/– रूपये एवं डी0सी0एम0 की तलाशी लेने पर 250 पेटी लीची जूस तथा अलग अलग वजन के कुल 20 पैकेट बरामद हुए जिससे गांजे जैसे तीब्रगंध आ रही थी। पकड़े गये पैकेटों के संबंध में पुछा गया तो तीनों ने बताया कि गांजा ही है। जिसे देवनारायण सिंह पुत्र रामबृक्ष सिंह निवासी असावटीकर गोभाडीह, जनपद आजमगढ़ ने गौहाटी में लदवाया था तथा आजमगढ़ जाने के बाद डेढ़ लाख रूपये देते। बरामद पैकेटों को डिजिटल तराजू से तौला गया तो क्रमशः 10 किलो 500 ग्राम, 11 किलो 200 ग्राम, 10 किलों 400 ग्राम, 10 किलो 400 ग्राम, 10 किलों 600 ग्राम, 10 किलो 400 ग्राम, 10 किलो 300 ग्राम, 10 किलो 300 ग्राम, 10 किलो 100 ग्राम, 10 किलो 200 ग्राम, 10 किलो 500 ग्राम, 10 किलों 300 ग्राम, 10 किलो 600 ग्राम, 10 किलो 500 ग्राम, 7 किलो 900 ग्राम, 8 किलो, 8 किलो 100 ग्राम, 7 किलो 900 ग्राम 8 किलों 300 ग्राम एवं 7 किलो 500 ग्राम, कुल 194 किलो नाजायज गांजा बरामद हुआ। अतएव उक्त आरोप जिसमें कि आवेदक नाजायज गांजा रखने के सम्बन्ध में कोई अधिकार पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाया, सम्बन्धित पुलिस ने एन.डी.पी.एस. एक्ट के कतिपय धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया। दौरान विवेचना धारा–419, 420, 467, 468, 471 भा.दं.सं. की बढ़ोत्तरी की गयी।

इस जमानत आवेदनपत्र के सम्बन्ध में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क रखा गया कि आवेदक निर्दोष है और फर्जी फंसाया गया है। उक्त अपराध में धारा–8/20/60 एन0डी0पी0एस0 एक्ट में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में कि0मि0 जमानत प्रा0प0 सं0–21133/2022 'करन सिंह बनाम उ0प्र0 सरकार' में आवेदक का जमानत मंजूर हो गयी है। आवेदक न तो मुकदमें में वर्णित वाहन का चालक है और न

ही उक्त वाहन का स्वामी है। मा0 उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयों द्वारा यह प्रतिपादित विधि व्यवस्थाओं में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित धाराओं में जमानत हो चुकी है तो विवेचना के दौरानन बढ़ोत्तरी की दफाओं में भी जमानत दे देनी चाहिए। आवेदक के विरूद्ध धारा–419, 420, 467, 468, 471 भा0दं0सं0 का कोई अपराध नहीं बनता है। आवेदक दिनांक 12.04.2022 से जिला कारागार बलिया में निरूद्ध है। उक्त घटना के कोई जनसाक्षी नही है। इन परिस्थितियों में आवेदक के विरुद्ध लगाए गये अभियोग में कोई बल नहीं है। अतः आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाना न्याय संगत होगा।

इसके विपरीत विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने इस जमानत आवेदनपत्र का विरोध यह तर्क रखते हुए किया कि उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर अभियुक्त द्वारा डी0सी0एम0 का नंबर प्लेट की बरामदगी हुई है तथा नंबर प्लेट बदलकर चला रहा था। अभियुक्त का कृत्य गम्भीर प्रकृति का है। उक्त अधारों पर अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का तर्क किया गया है।

इस न्यायालय द्वारा जमानत आवेदन पत्र, प्रथम सूचना रिपोर्ट, पुलिस स्टेटस रिपोर्ट का गहन अवलोकन किया गया, अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इस मामले में जिसमें कि वस्तुतः 194 किग्रा नाजायज गांजा की बरामदगी कथित रूप से कही गयी है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अभियुक्त की जमानत हो चुकी है। दौरान विवेचना अभियुक्त के विरूद्ध धारा–419, 420, 467, 468, 471 भा0दं0सं0 की बढ़ोत्तरी की गयी है, न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया है तथा आरोप पत्र के साथ वे कागजात जिसको लेकर कुट रचना कही गयी है को नही प्रस्तुत की गयी है। अभियुक्त दिनांक 12.04.2022 से जिला कारागार बलिया में निरूद्ध है।

उक्त तथ्यों और परिस्थितियों के तहत यह न्यायालय इस जमानत आवेदन पत्र को स्वीकार किये जाने योग्य समझती है।

आदेश

अभियुक्त/आवेदक **करन सिंह** को मुकदमा अपराध संख्या–108/2022, धारा–419, 420, 467, 468, 471 भा0दं0सं0, थाना–रसड़ा, जिला–बलिया के मामलें में अभियुक्त द्वारा रू0 50,000/– का निजी बन्धपत्र तथा इसी धनराशि की दो–दो जमानतें दाखिल करने पर जमानत पर छोड़ा जाय ।

दिनांक 20.10.2022

(ओम प्रकाश)

:बगदाद अलीः

विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–7
बलिया